झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–67 / 2020

सुखलाल शवैया .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री पी0ए0एस0 पति, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: ए0पी0पी0।

आदेश सं0–05 दिनांक : 28वीं फरवरी, 2020

याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता, खरसावाँ थाना काण्ड संख्या 15 / 2019 (जी0आर0 संख्या 678 / 2019), जो विद्वान ए0सी0जे0एम0, सरायकेला के समक्ष लम्बित है, के संबंध में एक अभियुक्त है।

एक अज्ञात महिला का शव रेलवे लाईन के निकट से बरामद हुआ।

वाद दैनिकी के 59 एवं 82 के अनुसार, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता एवं मृतक के बीच दिनांक 16.04.2019 को वार्तालाप हुई। याचिकाकर्त्ता का स्वीकारोक्ति बयान वाद दैनिकी के पारा–99 में दर्ज किया गया है और याचिकाकर्त्ता के निशानदेही पर मृतक का मोबाईल बरामद हुआ जो वाद दैनिकी के पारा–101 में वर्णित है।

इस तथ्य के संदर्भ में कि मृतक के मोबाईल बरामद होने एवं उनके आस–पास की परिस्थितियाँ अपराध कारित करने में याचिकाकर्त्ता की संलग्नता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत देने हेतु इच्छुक नहीं हूँ।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)